

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक-सी, सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ, पटना-800023
दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई-मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक-01/प्रा0आ0(अग्निकांड)-02/2024/...2101.../आ0प्र0, पटना-23 दिनांक- 20.06.2025
प्रेषक,

संदीप कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया।

विषय: मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।

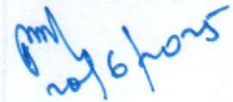
प्रसंग: आपका पत्रांक-312/आ०प्र० दिनांक-23.05.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ ग्रहण किया जाए, जिसके माध्यम से सरकारी भूमि पर आवासित परिवार को अग्निकांड से वस्त्र, बर्तन, गृहक्षति होने पर अनुदान की राशि की देयता के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि सरकारी भूमि पर आवासित होना अतिक्रमण माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में अग्निकांड की घटना से गृहक्षति होने पर गृहक्षति अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। अपितु वस्त्र एवं बर्तन/घरेलू सामान की क्षति होने पर निदेशानुसार प्रभावित परिवार को क्रमशः ₹2500/- एवं ₹2500/- की सहायता राशि तथा प्रभावित परिवार को ₹7000/- प्रति परिवार की दर से आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि देय होगा।

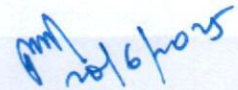
विश्वासभाजन,



विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(अग्निकांड)-02/2024/...2101.../आ0प्र0, पटना-23 दिनांक- 20.06.2025

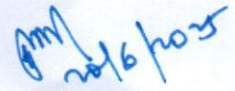
प्रतिलिपि:—सभी जिला पदाधिकारी, बिहार (खगड़िया को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(अग्निकांड)-02/2024/...2101.../आ0प्र0, पटना-23 दिनांक- 20.06.2025

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी